न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

II/निगरानी/दतिया/भू.रा./2017/3797

प्रकरण क्र. /2017 पुनरीक्षण याचिका

1- ब्रजेन्द्र सिंह

2- ऐवरन सिंह पुत्रगण मलखान सिंह जाति ठाकुर, निवासी ग्राम कमरारी तहसील व जिला दतिया म.प्र.

.....याचिकाकर्ता

विरूद्ध

1- जगदीश सिंह, पुत्र दशरथ सिंह, जाति ठाकुर, निवासी ग्राम कमरारी, जिला दतिया म.प्र.

2- म.प्र. शासन

..... प्रतियाचिकाकर्तागण

"पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 05.05.2017 प्रकरण क्रमांक-122/अपील/2015-16 पारित द्वारा न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय दतिया, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी क्रमांक-1 की अपील धारा 35 (3) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता के तहत पुनः नम्बर पर ली गई।"

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

1. यह कि, प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्तागण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत मौजा कमरारी की भू-सर्वे क्रमांक-1124, 1154 कीता 2 रकवा 1.55 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/16 एंव सर्वे क्रमांक-296, 298, 967, 1013, 1014, 1016, 1017, 1119, 1119, 1125 कुल किता 1. कुल रकवा 6.14 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/8 एवं सर्वे क्रमांक 1007, 1008, 1010, 1011, 1012, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, कुल किता 20 कुल रकवा 6.27 हैक्टेयर में से भाग 1/18 का वसीयत नामा के

(25)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक तीन / निग0 / दतिया / भू.रा. / 2017 / 3797

ब्रजेन्द्र सिंह विरूद्ध जगदीश

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-03-18	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री मत्युंजय मोस्वामी उपस्थित हुए । प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता को ग्राह्यता के विन्दु पर सुना गया । 2. यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी दतिया के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 122/अपील/2015/2016 में पारित आदेश दिनांक 05/05/2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। 3. आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 05.05.2017 जारी करने से पूर्व अनावेदक को सुना जाना चाहिए था किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मुझे बिना सुने ही प्रकरण में आक्षेपित आदेश जारी कर अपील को पुन: नम्बर पर ले लिया गया । नियमानुसार बिना अनावेदक को सुने प्रकरण को नम्बर पर नहीं लिया जाना चाहिए था । इस संबंध में संहिता की धारा 35 में निहित प्रावधानों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए निगरानी में प्रश्नाधीन आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है । 4. प्रकरण में ग्राह्यता से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय का	

अभिलेख बुलाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 29.08.16 को अपील प्रकरण यह अंकित करते हुए कि "प्रकरण प्रश । अपीलांट को पुकार लगवाई गयी। रिस्पो0 उपस्थित। अपीलांट व अधिवक्ता बाद सूचना उपस्थित नहीं। प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है"। यहां यह तथ्य विचारणीय है कि जब प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है उस दिनांक को विरोधी पक्षकार उपस्थित रहता है तब उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद ही पुन: स्थापन किया जा सकता है। इस संबंध में "श्यामलाल वि. गनेशी बाई, 1972 रा.नि. 7 में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि "मामला अदम पैरवी में खारिज करते समय यदि विपक्षी पक्षकार उपस्थित रहा है तो मामले की पुन:स्थापना हेतु अर्जी अनुपस्थित पक्षकार की ओर से दी जाने पर अर्जी के विरूद्ध विपक्षी उपस्थित पक्षकार को सूचना देकर सुना जावेगा। प्रश्नाधीन आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विरोधी पक्षकार जो इस न्यायालय में आवेदक है को बिना सुने ही प्रकरण पुन: नम्बर पर लिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन आदेश 05/05/2017 संहिता में निहित प्रावधानों एवं विधि के विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5. परिणामस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित

प्रकरण क्रमांक तीन / निग0 / दतिया / भू.रा. / 2017 / 3797

ब्रजेन्द्र सिंह विरूद्ध जगदीश

आदेश दिनांक 05/05/2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण में प्रति अपीलार्थी जो राजस्व मण्डल न्यायालय में निगरानी कर्ता है, को अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 35 पुनर्स्थापन के आवेदन पर सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनर्स्थापन आवेदन का निराकरण करें। उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दा.रि. हो।

(डॉ0 एम0के0 अग्रवाल)

सदस्य